रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 145] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 6, 2018/चैत्र 16, 1940
No. 145] NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 6, 2018/CHAITRA 16, 1940

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2018

फा. सं. पीएनजीआरबी/ऑथो/सीजीडी/अमेंड्मेंट/2018.—पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 (2006 की 19) की धारा 61 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नानुसार नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. लघु शीर्षक और प्रारंभण

(1) इन नियमों को "पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) संशोधन विनियम, 2018" कहा जाएगा।

(2) ये सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

2. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए कंपनियों को प्राधिकृत करना) विनियम, 2008 में -

(क) विनियमन 2 में, उप-विनियमन (1) में, -

(i) खंड (च) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

'(च) "संविदा वर्ष" का अर्थ है प्राधिकरण की तारीख और उसके बाद बारह महीनों के बाद की अवधि के तुरंत बाद कैलेंडर तिमाही की पहली तारीख को और उससे शुरू होने वाले बारह महीनों की अवधि;

(ii) खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

'(छक) "अप्रत्याशित स्थितियां" का अर्थ यह होगा और यह निम्नलिखित तक सीमित होगा:-

(i) युद्ध / शत्रुता;

(ii) व्यापक हिंसा या नागरिक अशांति;

(iii) भूकंप, बाढ़, तूफान, बिजली गिरना या अन्य प्राकृतिक भौतिक आपदाएं;

(iv) केंद्र सरकार या राज्य सरकारों द्वारा लगाया गया प्रतिबंध, जो बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से उत्पन्न हुआ है, जो इन विनियमों के अंतर्गत बाध्यताओं के निष्पादन को रोकता है या उसमें विलंब करता है।

'(छख) "प्राकृतिक गैस स्टेशन" में एक सीएनजी स्टेशन और एक फिलिंग स्टेशन शामिल है, जहां एक या अधिक वितरण इकाइयों को, किसी अन्य रूप में जैसे कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी), वाहनों के लिए ईंधन के रूप में प्राकृतिक गैस की बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाता है;

(iii) खंड (ज) का लोप किया जाएगा;

(iv) खंड (i) में, "पाइपलाइनों के माध्यम से परिवहन किए गए" शब्दों के बाद "या कैसकेड या किसी अन्य अनुमेय प्रणाली" शब्दों को जोड़ा जाएगा;

(v) खंड (i) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ें जाएंगे, अर्थात्: -

'(छख)" पूर्व निर्धारित दंड" का अर्थ है प्रत्येक संविदा वर्ष में कार्य कार्यक्रम की कम उपलब्धि के लिए विनियम 16 में निर्दिष्ट अनुसार पूर्व निर्धारित दरों पर लगाया जाने वाला या लगाया गया दंड;

'(iख) "सफल कंपनी" का अर्थ है वह कंपनी जो बोली लगाती है और जिसे विशेष भौगोलिक क्षेत्र के लिए सीजीडी नेटवर्क के विकास हेतु प्राधिकार प्रदान किया जाता है और ऐसे विकास के लिए बोली लगाने वाली शेष कंपनियों को "असफल कंपनियों" के रूप में संदर्भित किया जाता है;

'(iग)) "सीजीडी के लिए परिवहन दर" का अर्थ है सीजीडी नेटवर्क में प्राकृतिक गैस के ग्राहकों की सभी श्रेणियों के लिए टैरिफ की यूनिट दर (वैधानिक कर और शुल्क को छोड़कर) प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (रुपए/ एमएमबीटीयू) में, जिसका भुगतान एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को किया जाएगा जिसे सीजीडी नेटवर्क संचालित करने के लिए अधिकृत किया गया है;

'(iघ) "सीएनजी के लिए परिवहन दर" का अर्थ है प्राकृतिक गैस के ऑनलाइन संपीड़न के लिए प्रति किलोग्राम रुपए (रुपए/कि.ग्रा.) का संपीड़ित प्राकृतिक गैस (इसके बाद सीएनजी के रूप में उल्लेख किया गया है) में परिवर्तन का प्रभार (वैधानिक करों और शुल्क को छोड़कर), जिसे सीजीडी नेटवर्क संचालित करने के लिए एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी को किया जाएगा जिसे अधिकृत किया गया है;

'(iङ.) प्राधिकरण पत्र जारी किए जाने तक "कार्य कार्यक्रम" में घरेलू पीएनजी कनेक्शन की संख्या, प्राकृतिक गैस स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइपलाइन नेटवर्क के इंच-कि.मी. बोली के अनुसार बोलीदाता द्वारा उद्धृत किया गया है और इसे जारी करने के बाद घरेलू पीएनजी कनेक्शन की संख्या, प्राधिकार-पत्र (अनुसूची-घ

के अनुसार) में वर्णित प्राकृतिक गैस स्टेशनों की संख्या और स्टील पाइपलाइन नेटवर्क का इंच-कि.मी. की संख्या';

(vi) खंड (जे) का लोप किया जाएगा;

(ख) विनियमन 3 में, उप-विनियमन (2) में,

(i) खंड (क) में, निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाएगा, अर्थात्;

"बशर्ते कि जब तक सीजीडी नेटवर्क किसी ग्राहक (घरेलू पीएनजी और सीएनजी के अलावा) को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के लिए तैयार न हो, ऐसे ग्राहकों को बोर्ड की पूर्व अनुमति के साथ किसी भी अन्य वैकल्पिक स्रोत या आपूर्तिकर्ता से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा, और यदि, एक बार सीजीडी नेटवर्क इस तरह के ग्राहकों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करने के लिए तैयार हो जाता है, तो ऐसे ग्राहक सीजीडी नेटवर्क की तैयारी के नोटिस की प्राप्ति के 30 दिनों के बाद इस तरह के वैकल्पिक स्रोत या आपूर्तिकर्ता से प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को बंद करवा देंगे।"

(ii) खंड (ख) में "आपूर्ति की जाएगी" शब्दों के बाद निम्नलिखित शब्दों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"ग्राहक के विवेक पर"

(ग) विनियमन 5 में, -

(i) उप-विनियमन (6) में, -

(क) खंड (ख) में

(क) उप-खंड (i) में, "नेटवर्क" शब्द के बाद, शब्द "या" शब्द जोड़ा जाएगा; और

(ख) उप-खंड (ii) में, "नेटवर्क" शब्द के बाद, "या" शब्द जोड़ा जाएगा;

(ख) खंड (ग) में –

(क) उप-खंड (i) में, "नेटवर्क" शब्द के बाद, "या" शब्द जोड़ा जाएगा; और

(ख) उप-खंड (ii) में, "नेटवर्क" शब्द के बाद, "या" शब्द जोड़ा जाएगा;

(ग) खंड (ड.) में –

(i) तालिका के लिए, निम्नलिखित तालिका प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत: -

भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या	**बोलीदाता कंपनी का न्यूनतम निवल मूल्य**
(1)	**(2)**
5 मिलियन या अधिक	5 मिलियन की आबादी के लिए 1500 मिलियन, और 5 मिलियन से अधिक प्रत्येक 1 मिलियन जनसंख्या या इसके भाग के लिए अतिरिक्त 300 मिलियन रुपए (टिप्पणी 3 देखें)
2 मिलियन या अधिक लेकिन 5 लाख से कम	1000 मिलियन रुपए
1 मिलियन या अधिक लेकिन 2 मिलियन से कम	750 मिलियन रुपए

0.5 मिलियन या अधिक लेकिन 1 मिलियन से कम	500 मिलियन रुपए
0.25 मिलियन या अधिक लेकिन 0.50 मिलियन से कम	250 मिलियन रुपए
0.1 मिलियन या अधिक लेकिन 0.25 मिलियन से कम	100 मिलियन रुपए
0.1 मिलियन से कम	50 मिलियन रुपए

टिप्पणी-1 उपरोक्त न्यूनतम निवल मूल्य तब लागू होगा यदि कोई बोलीदाता कंपनी किसी विशिष्ट बोली चरण में एक भौगोलिक क्षेत्र के लिए बोली लगाती है।

टिप्पणी-2 यदि कोई बोलीदाता कंपवनी एक से अधिक भौगोलिक क्षेत्र के लिए बोली लगाती है तो न्यूनतम निवल-मूल्य की आवश्यकता की गणना न्यूनतम अनुमानित 100% न्यूनतम निवल योग्यता के आधार पर की जाएगी, जो कि बोली वाले भौगोलिक क्षेत्र के लिए सबसे अधिक जनसंख्या है, प्लस 20% न्यूनतम नेट अन्य भौगोलिक क्षेत्रों में से प्रत्येक के लिए आवश्यक होगा। उदाहरण के लिए, यदि बोलीदाता ने चार भौगोलिक क्षेत्रों, क, ख, ग और घ के लिए बोली लगाई है और इन चार भौगोलिक क्षेत्रों में से 'ग' में सबसे ज्यादा आबादी है, तो न्यूनतम निवल-मूल्य की आवश्यकता की 'ग' प्लस क, ख और घ प्रत्येक के लिए न्यूनतम निवल-मूल्य की आवश्यकता के 20% के न्यूनतम निवल मूल्य के अनुसार गणना की जाएगी।

टिप्पणी-3 उदाहरण के लिए, यदि आबादी 8.4 मिलियन है, तो न्यूनतम अपेक्षित निवल मूल्य 2,700 मिलियन होगा (अर्थात् प्रारंभिक 5 मिलियन जनसंख्या के लिए 1,500 मिलियन, 5 मिलियन से अधिक 3.4 मिलियन आबादी के लिए 1,200 मिलियन रुपए)

(ii) उपखंड (i) म के लिए, निम्नलिखित उप-खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) बोलीदाता कंपनी के निवल-मूलय की गणना अनुसूची-ज के अनुसार की जाएगी।";

(iii) उप-खंड (ii) का लोप किया जाएगा;

(iv) उपखंड (ii) के बाद कोष्ठक, अक्षर और शब्द "($) उदाहरण के लिए" से शुरू होने वाले और "मिलियन X 12/5" शब्द, अक्षर और कोष्ठक से समाप्त होने वाले पैराग्राफ;) का लोप किया जाएगा;

(ii) उप-विनियमन (8) में, -

(क) "साठ" शब्द को "नब्बे" शब्द से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ख) परंतुक का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (9) का लोप किया जाएगा;

(घ) **विनियमन 6 में,** "बोर्ड द्वारा तैयार किए गए अनुसार परियोजना ब्यौरों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा" शब्दों का लोप किया जाएगा;

(ड.) विनियमन 7 में, -

(i) उप-विनियमन (1) के लिए, निम्नलखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"1(क) बोर्ड, प्राधिकरण के प्रस्ताव पर विचार करते समय, नीचे विनिर्दिष्ट बोली मानदंडों के अनुसार, न्यूनतम वित्तीय पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाली सभी वित्तीय बोलियों की तालिका बनाएगा और उनकी तुलना करेगा, नामत: -

क्र.सं.	बोली मानदंड	तरजीह (%)	व्याख्या
1	सीजीडी के लिए परिवहन दर का कम होना - प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (रुपए / एमएमटीटीयू) में	10	बोलीदाता को केवल पहले संविदा वर्ष के लिए सीजीडी के लिए परिवहन दर का उद्धरण करना आवश्यक है जो 30 रुपए/ एमएमबीटीयू से कम नहीं होगा। बाद के संविदा वर्षों के लिए दरें नीचे टिप्पणी के अनुसार उद्धृत दर और वृद्धि पर विचार करके निकाली जाएंगी।
2	सीएनजी के लिए परिवहन दर का कम होना - रुपए प्रति किलो ग्राम (रुपए / कि.ग्रा.) में	10	बोलीदाता को केवल पहले संविदा वर्ष के लिए सीएनजी हेतु परिवहन दर का उद्धरण करना आवश्यक है जो 2 रुपए / कि.ग्रा. से कम नहीं होगा। बाद के संविदा वर्षों के लिए दरें टिप्पणी के अनुसार उद्धृत दर और वृद्धि पर विचार करके निकाली जाएंगी।
3	प्राकृतिक गैस स्टेशनों की संख्या (ऑनलाइन और सहायक बूस्टर स्टेशन) को प्राधिकरण की तारीख से 8 संविदा वर्षों में स्थापित किया जाना चाहिए	20	-
4	प्राधिकरण की तारीख से 8 संविदा वर्षों में घरेलू पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शनों की अधिक संख्या प्राप्त की जानी चाहिए	50	-
5	प्राधिकरण की तारीख से 8 संविदा वर्षों में इंच-कि.मी. स्टील पाइपलाइन बिछाई जाएगी	10	-
टिप्पणी-1 वार्षिक वृद्धि को दूसरे संविदा वर्ष और उसके बाद "थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) डेटा (2011-12 = 100)" के आधार पर "सभी समूह / वस्तु" के लिए विचार किया जाएगा, जो सामान्यतया कार्यालय की वेबसाइट पर आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के लिंक http://eaindustry.nic.in/home.asp पर उपलब्ध कराया जाएगा।			

बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकुला (पहले से अधिकृत क्षेत्रो को छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों, और (iii) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, स्टील पाइपों के जरिए प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करना अनिवार्य नहीं है। तथापि, प्राकृतिक गैस को सभी प्रभार क्षेत्रों में पहुंचना होगा। तदनुसार, बोली लगाने के मापदंड और उनकी संबंधित तरजीह निम्नानुसार होगी:-

क्र.सं.	बोली मानदंड	तरजीह (%)	व्याख्या
1	सीजीडी के लिए परिवहन दर का कम होना - प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (रुपए / एमएमटीटीयू) में	10	बोलीदाता को केवल पहले संविदा वर्ष के लिए सीजीडी के लिए परिवहन दर का उद्धरण करना आवश्यक है जो 30 रुपए/ एमएमबीटीयू से कम नहीं होगा। बाद की संविदा वर्षों के लिए दरें टिप्पणी के अनुसार उद्धृत दर और वृद्धि पर विचार करके निकाली जाएंगी।
2	सीएनजी के लिए परिवहन दर का कम होना - रुपए प्रति किलो ग्राम (रुपए / कि.ग्रा.) में	10	बोलीदाता को केवल पहले संविदा वर्ष के लिए सीएनजी हेतु परिवहन दर का उद्धरण करना आवश्यक है जो 2 रुपए / कि.ग्रा. से कम नहीं होगा। बाद के संविदा वर्षों के लिए दरें टिप्पणी के अनुसार उद्धृत दर और वृद्धि पर विचार करके निकाली जाएंगी।
3	प्राकृतिक गैस स्टेशनों की संख्या (ऑनलाइन और सहायक बूस्टर स्टेशन) को प्राधिकरण की तारीख से 8 संविदा वर्षों में स्थापित किया जाना चाहिए	20	-
4	प्राधिकरण की तारीख से 8 संविदा वर्षों में घरेलू पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शनों की अधिक संख्या प्राप्त की जानी चाहिए	55	-
टिप्पणी-1 वार्षिक वृद्धि को दूसरे संविदा वर्ष और उसके बाद "थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) डेटा (2011-12 = 100)" के आधार पर "सभी समूह / वस्तु" के लिए विचार किया जाएगा, जो सामान्यतया कार्यालय की वेबसाइट पर आर्थिक सलाहकार, भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) के लिंक http://eaindustry.nic.in/home.asp पर उपलब्ध कराया जाएगा।			

"1(ख) सफल बोलीदाता को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार 8 संविदा वर्षों में वर्षवार कार्य कार्यक्रम प्राप्त करना होगा:

पीएनजी कनेक्शन (संचयी)		**प्राकृतिक गैस स्टेशन (संचयी)**		**इंची-कि.मी. स्टील पाइप लाइन (संचयी)**	
संविदा वर्ष के अंत तक	**कार्य कार्यक्रम का %**	**संविदा वर्ष के अंत तक**	**कार्य कार्यक्रम का %**	**संविदा वर्ष के अंत तक**	**कार्य कार्यक्रम का %**
पहला	शून्य	पहला	शून्य	पहला	5
दूसरा	10	दूसरा	15	दूसरा	20
तीसरा	20	तीसरा	30	तीसरा	40
चौथा	30	चौथा	45	चौथा	60
पांचवां	40	पांचवां	60	पांचवां	70

छठा	60	छठा	75	छठा	80
सातवां	80	सातवां	90	सातवां	90
आठवां	100	आठवां	100	आठवां	100
टिप्पणी - यदि व्युत्पन्न संख्याएं अंश में हैं, तो उसे निकटतम संख्या तक पूर्णांकित किया जाएगा और अंश 0.5 को अगले उच्च पूर्ण संख्या में पूर्णांकित किया जाएगा।"					

बशर्ते कि (i) बिलासपुर, हमीरपुर और ऊना जिलों; (ii) पंचकुला (पहले से अधिकृत क्षेत्रोंको छोड़कर), शिमला, सोलन और सिरमौर जिलों, और (iii) बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों के भौगोलिक क्षेत्रों के मामले में, सफल बोलीदाता को नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार 10 संविदा वर्षों के अंदर वर्ष-वार कार्य कार्यक्रम प्राप्त करना होगा, अर्थात् : -

पीएनजी कनेक्शन (संचयी)		**प्राकृतिक गैस स्टेशन (संचयी)**	
संविदा वर्ष के अंत तक	**कार्य कार्यक्रम का %**	**संविदा वर्ष के अंत तक**	**कार्य कार्यक्रम का %**
पहला	शून्य	पहला	शून्य
दूसरा	10	दूसरा	10
तीसरा	20	तीसरा	20
चौथा	30	चौथा	30
पांचवां	40	पांचवां	40
छठा	50	छठा	50
सातवां	60	सातवां	60
आठवां	70	आठवां	70
नौंवा	80	नौवां	80
दसवां	100	दसवां	100

टिप्पणी – यदि व्युत्पन्न संख्या अंश में है, तो उसे अगले पूर्ण अंक पर पूर्णांकित किया जाएगा और अंश 0.5 को अगले उच्च पूर्ण अंक में पूर्णांकित किया जाएगा।

(ii) उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा;

(iii) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) उप-विनियमन (1) के तहत मानदंडों और अनुसूची ग(1) में दिखाए गए अनुसार, उच्चतम समग्र अंक वाली बोलीदाता कंपनी, सफल बोलीदाता के रूप में घोषित की जाएगी।

बशर्ते कि मूल्यांकित समग्र अंक में संविदा के मामले में, सफल बोलीदाता पर निर्णय निविदा में बोली लगाने वाली कंपनियों के बीच पीएनजी कनेक्शन की संख्या के आधार पर लिया जाएगा। यदि पीएनजी कनेक्शन की संख्या पर टाई हो जाता है, तो इंच-कि.मी. स्टील पाइपलाइन की ऊंचाई पर विचार किया जाएगा और इसके बाद इंच-कि.मी. में टाई के मामले में, प्राकृतिक गैस स्टेशनों की उच्च संख्या पर विचार किया जाएगा";

(iv) उप-विनियमन (4) का लोप किया जाएगा;

(च) विनियम 8 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"8. सीजीडी और सीएनजी के लिए परिवहन दर का निर्धारण और वसूली

(1) सीजीडी के लिए परिवहन दर पहले संविदा वर्ष के लिए विनियम 7 के उप-विनियम (1) के तहत सीजीडी बोली हेतु परिवहन दर के अनुसार तय की जाएगी और इसे सीजीडी नेटवर्क के संचालन के लिए एक कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी से वसूला जाएगा जिसे अधिकृत किया गया है। दूसरे संविदा वर्ष और उसके बाद प्राकृतिक गैस की परिवहन की दर को विनियम 7 के उप-विनियम (1) में दी गई तालिका की टिप्पणी-1 के अनुसार पद्धति के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

(2) सीएनजी के लिए परिवहन दर पहले संविदा वर्ष के लिए विनियम 7 के उप-विनियमन (1) के तहत सीएनजी बोली के लिए परिवहन दर के अनुसार तय की जाएगी और सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में नेटवर्क का उपयोग करके सीजीडी नेटवर्क संचालित करने के लिए प्राधिकृत कंपनी द्वारा दूसरी कंपनी से वसूला जाएगा। दूसरे संविदा वर्ष और उसके बाद सीएनजी की परिवहन दर को विनियम 7 के उप-विनियम (1) में दी गई तालिका की टिप्पणी-1 के अनुसार पद्धति के अनुरूप निर्धारित किया जाएगा।

(3) सीजीडी नेटवर्क को सामान्य वाहक या संविदा वाहक के रूप में घोषित करने पर, प्राधिकृत कंपनी किसी भी अन्य कंपनी को मांग पर उपलब्धता प्रदान करेगी और सीजीडी और सीएनजी की अलग-अलग परिवहन लागत को बिना किसी प्रीमियम या गैर-भेदभावपूर्ण आधार पर छूट के माध्यम से सीजीडी नेटवर्क तक पहुंच बनाने वाली कंपनी से प्राप्त करेगी।

(4) सीएनजी में प्राकृतिक गैस के ऑनलाइन संपीड़न के बाद किसी भी कीमत, जैसे कि प्राकृतिक गैस स्टेशन को कैसकेड माउंटेड प्रणाली में सीएनजी का भंडारण और परिवहन करना प्राकृतिक गैस के वितरण से जुड़ी गतिविधि है और इसे इन विनियमों में शामिल नहीं किया गया है।";

(छ) विनियम 9 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) प्राधिकार उस सफल कंपनी को प्रदान किया जाएगा जो नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार राशि के लिए किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट या पे-ऑर्डर या बैंक गारंटी के रूप में निष्पादन बांड प्रस्तुत करेगी, अर्थात्: -

क्रम संख्या	**भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र में जनसंख्या**	**निष्पादन बॉण्ड की राशि (रुपए)**
1	5 मिलियन या अधिक	500 मिलियन
2	2 मिलियन या अधिक लेकिन 5 मिलियन से कम	330 मिलियन
3	1 मिलियन या अधिक लेकिन 2 मिलियन से कम	250 मिलियन
4	0.5 मिलियन या अधिक लेकिन 1 मिलियन से कम	150 मिलियन
5	0.25 मिलियन या अधिक लेकिन 0.50 मिलियन से कम	80 मिलियन
6	0.1 मिलियन या अधिक लेकिन 0.25 मिलियन से कम	30 मिलियन
7	0.1 मिलियन से कम	15 मिलियन

यदि निष्पादन बांड बैंकिंग गारंटी के जरिए जमा किया जाता है, तो निष्पादन बांड गारंटी (पीबीजी) शुरू में तीन साल की अवधि के लिए मान्य होगी और उसके बाद अगले तीन वर्षों के लिए प्राधिकार की अवधि तक कम से कम तीन माह पूर्व नवीनीकृत किया जाएगा। यह पीबीजी को समय पर नवीनीकृत करने की उत्तरदायित्व के लिए कंपनी है और यदि पीबीजी को पीबीजी की समाप्ति से कम से कम एक माह में नवीनीकृत नहीं किया जाता है, तो बोर्ड द्वारा पीबीजी को भुना लिया जाएगा और प्राधिकार समाप्त कर दिया जाएगा।

कार्य कार्यक्रम की 100% उपलब्धि के बाद या सामान्य वाहक या संविदा वाहक की अवधि के समाप्त होने पर, जो भी बाद में हो, सफल बोलीदाता द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक पीबीजी के 40% के मूल्य में से पीबीजी की राशि कम हो जाएगी।";

(ii) उप-विनियम (2) का लोप किया जाएगा;

(ज) विनियम 10 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(1) सफल कंपनी को अंतिम रूप देने पर एक आशय-पत्र (एलओआई) जारी किया जाएगा। कंपनी को आशय-पत्र (एलओआई) जारी करने के 30 दिनों के भीतर निष्पादन बांड प्रस्तुत करना होगा और ऐसी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करना होगा जो बोर्ड द्वारा आवश्यक हो सकती हैं। निष्पादन बांड प्रस्तुत करने और ऐसी अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने पर, 30 दिनों के भीतर अनुसूची घ में दिए गए प्रारूप में, सफल कंपनी को प्राधिकार दिया जाएगा।

बशर्ते कि बोर्ड 15 दिनों से अधिक की अवधि के लिए निष्पादन बॉण्ड जमा करने की तारीख का विस्तार कर सकता है, ऐसा न करने पर एलओआई वापस ली गई या रद्द की गई समझी जाएगी।

बशर्ते कि निर्धारित समय के भीतर निष्पादन बांड को जमा न करने के मामले में, बोली बांड को जब्त कर लिया जाएगा या उसे भुना लिया जाएगा और इस तरह की बोलीदाता कंपनी को डिफ़ॉल्ट रूप में माना जाएगा और बोली लगाने से कम से कम तीन वर्षों के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। इसके अलावा, दूसरे उच्चतम समग्र अंक वाली बोलीदाता कंपनी को एलओआई जारी करने और प्राधिकार देने की प्रक्रिया उसी प्रकार से की जाएगी जैसे कि विनियम 7 के उप-नियम (3) में विनिर्दिष्ट किया गया है।";

(ii) उप-विनियम (3) के लिए, निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(3) कंपनी को दिए गए प्राधिकार को उसके जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के दौरान या कार्य कार्यक्रम के पूरा होने तक, जो भी पहले हो, की अवधि के दौरान बिक्री, हस्तांतरण या अन्य किसी ढंग से या किसी व्यक्ति या कंपनी के पक्ष में नहीं सौंपा जाएगा।

बशर्ते कि प्राधिकार की तारीख से या पांच साल की अवधि में पचास प्रतिशत इक्विटी शेयरों से कम के स्थानांतरित होने पर या कार्य कार्यक्रम की उपलब्धि तक, जो भी पहले हो, कोई प्रतिबंध नहीं होगा, बशर्ते कि मूल परिसंघ या संयुक्त उद्यम का प्रमुख भागीदार अन्य किसी भागीदार से कम के प्रतिशत दावे से कम नहीं होगा। प्रमुख भागीदार को बोली में अपफ्रंट घोषित किया जाएगा।

बोली प्रस्तुत करने के बाद और प्राधिकार जारी करने से पहले कंपनी का पुनर्गठन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

बशर्ते यह भी कि बोर्ड प्राधिकार द्वारा अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को प्राधिकार के हस्तांतरण को स्वीकार कर सकता है, बशर्त कि कंपनी बोर्ड को, विनिर्दिष्ट परिशिष्ट-III में कॉर्पोरेट गारंटी प्रदान करती है। ";

(ii) उप-विनियम (4) में, "पांच वर्ष या न्यूनतम कार्य कार्यक्रम की उपलब्धि तक, जो भी पहले हो" शब्दों के लिए "पांच वर्ष या संविदागत वर्षों के समाप्त होने तक प्राप्त किए जाने वाले संचयी कार्य कार्यक्रम की प्राप्त, जो भी बाद में हो" प्रतिस्थापित किया जाएगा।";

(i) नियमन 11 में, -

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) विनियम 10 के तहत प्राधिकृत कंपनी प्राकृतिक गैस (एमओयू) की बिक्री के लिए बोर्ड को प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस के उत्पादक या विपणनकर्ता, पारदर्शी ढंग से और प्राधिकरण की तारीख से एक सौ और अस्सी दिन के भीतर, न्यूनतम पांच वर्ष की अवधि के लिए आर्म्स लेंथ आधार पर एक प्राकृतिक गैस बिक्री समझौता (जीएसए) या गैस बिक्री समझौते के प्रमुख (एचओए) या समझौता-ज्ञापन प्रस्तुत करेगी।

बशर्ते कि यदि सरकार कंपनी को प्राधिकार की तारीख से 180 दिनों के भीतर प्रस्तावित सीजीडी नेटवर्क परियोजना के लिए प्राकृतिक गैस का आवंटन करती है तो इस उप-विनियम के तहत ऐसे किसी जीएसए या एचओए या एमओयू की आवश्यकता नहीं होगी।";

(ii) उप-विनियमन (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियमन को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -

"(2) प्राकृतिक गैस की न्यूनतम मात्रा, जिसके लिए जीएसए या एचओए या एमओयू को उप-विनियमन (1) में दर्ज किया जाएगा, प्रत्येक पीएनजी कनेक्शन के लिए 5 एससीएम प्रति माह और पहले पांच संविदा वर्षों के संचयी कार्य कार्यक्रम को देखते हुए प्रत्येक सीएनजी स्टेशन के लिए 75,000 एससीएम प्रति माह की खपत मात्रा के बराबर होगा।";

(iii) उप-विनियम (3) में, "एक सौ अस्सी" शब्दों के लिए "दो सौ सत्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) उप-विनियमन (4) के लिए, "एक सौ अस्सी" शब्दों को "दो सौ और सत्तर" शब्दों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(v) उप-विनियम (5) में, निम्नलिखित प्रावधानों को जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"बशर्ते कि इस उप-विनियम के तहत कोई भी कार्रवाई करने से पहले, बोर्ड दोषी कंपनी को नोटिस जारी करेगा, उसे उप-विनियम (1) से (4) के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने के लिए उचित समय दिया जाएगा और यदि कोई कंपनी बोर्ड को संतुष्ट करते हुए कोई सुधार कार्रवाई करती है तो इस अवधि के भीतर, इस उप-विनियम के तहत कंपनी के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी।";

(vi) उप-विनियम (5) के बाद, निम्न उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(6) अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी अन्य नियम के बावजूद,

(क) पाइपलाइन कंपनी 180 दिनों के भीतर उचित लागत पर सीजीडी प्राधिकृत कंपनी को कनेक्टिविटी या पहुंच प्रदान करेगी,जहां से कनेक्टिविटी या पहुंच उसके अनुरोध करने की तारीख से वाल्व स्टेशन सेक्शनलाइजिंग और पाइपलाइन पर किसी भी अन्य बिंदु से 270 दिनों के भीतर प्रदान की जा सकती है।

(ख) भौगोलिक क्षेत्र के लिए "सामान्य कैरियर या संविदा वाहक" के दायरे से विशिष्टता अवधि के पूरा होने के बाद, सीजीडी प्राधिकृत कंपनी दूसरी इच्छुक कंपनी को अपने बुनियादी ढांचे की कनेक्टिविटी या पहुंच उचित लागत पर उनके द्वारा किए गए अनुरोध के 270 दिनों के भीतर प्रदान करेगी।

स्पष्टीकरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, उचित लागत का अभिप्राय किए गए वास्तविक खर्चे और अतिरिक्त अठारह प्रतिशत खर्च के लिए ओवरहेड्स, ब्याज और मुनाफे को शामिल करना होगा।";

(ञ) **विनियम 12 के लिए, निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: -**

(1) किसी नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क को बिछाने, निर्माण, प्रचालन या विस्तार करने के लिए विशिष्टता अवधि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (नगर या स्थानीय प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क के लिए विशिष्टता) विनियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार होगी।

(2) अधिनियम के तहत बनाए गए किसी भी अन्य विनियम में कुछ भी निहित होने के बावजूद, सामान्य वाहक या संविदा वाहक का विशिष्टता कार्यक्षेत्र आठ वर्ष होगा।

बशर्ते कि यदि कोई कंपनी आठ संविदा वर्षों में से प्रत्येक में समय पर कार्य कार्यक्रम पूरा कर लेती है, तो इस तरह की विशिष्टता दो वर्षों की अवधि तक बढ़ा दी जाएगी।

बशर्ते आगे यह कि यदि कोई कंपनी आठ संविदा वर्षों में किसी भी समय कार्य कार्यक्रम को प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहती है, लेकिन आठवें संविदा वर्ष के अंत में संचयी कार्य कार्यक्रम को प्राप्त करने में सफल रहती है, तो इस तरह की विशिष्टता अवधि को एक वर्ष की अवधि तक के लिए बढ़ा दिया जाएगा।

बशर्ते आगे यह भी कि यदि विनिर्दिष्ट ट्रांसमिशन पाइपलाइन में प्राकृतिक गैस के प्रवाह के मामले में निर्धारित तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए विलंब हो जाता है और यह तारीख सीजीडी नेटवर्क के तैयार होने की तारीख से बाद की है, जो बोली प्रक्रिया के माध्यम से चयनित अधिकृत सीजीडी कंपनी से गैस लेने, जिसके कारण अधिकृत सीजीडी कंपनी को ज्ञात नहीं हैं, से गैस लेने के लिए तैयार है, तो बोर्ड इसकी अवधि को अधिकृत भौगोलिक क्षेत्र की सेवा करने वाली ट्रांसमिशन पाइपलाइन में वास्तविक और अनुसूचित प्राकृतिक गैस प्रवाह के अंतर से विशिष्टता अवधि या ऐसी तारीख जब सीजीडी नेटवर्क इस तरह के विलंब के कारणों का मूल्यांकन करने के बाद गैस लेने के लिए तैयार है, जो भी कम हो, को बढ़ा सकता है, और यदि घरेलू पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस कनेक्शन, प्राकृतिक गैस स्टेशन और इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन के संबंध में वार्षिक लक्ष्य तथा सीजीडी के लिए परिवहन शुल्क लगाने और सीएनजी के लिए परिवहन दर की अनुसूची को भी तदनुसार बदला जाएगा। इसके अतिरिक्त, सीजीडी नेटवर्क को बिछाने, निर्माण या विस्तार करने की विशिष्ट अवधि को भी इसी अवधि तक बढ़ाया जाएगा। प्रतिबद्ध लक्ष्यों की प्रगति पर नज़र रखने के लिए, इसे प्रभावित वर्षों में ही यथानुपात बनाया जाएगा।

उदाहरण:- इस उप-विनियम के प्रयोजन के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी मामलों में, सीजीडी नेटवर्क बिछाने, निर्माण या विस्तार की विशिष्टता प्राधिकार की तारीख से पच्चीस वर्ष तक बनी रहेगी।";

(ञ) विनियमन 14 में, उप-विनियमन के बाद निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा, नामत: -

"(11) यदि प्राधिकृत कंपनी अप्रत्याशित स्थितियों के कारण कार्य कार्यक्रम के अनुसार किसी भी दायित्व को निष्पादित करने में असमर्थ रहती है, तो ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों से प्रभावित होने वाली कंपनी की सापेक्ष बाध्यता को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर दिया जाएगा, जिस अवधि के दौरान अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न हुई थीं, और इस संबंध में बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा और कंपनी पर बाध्यकारी होगा।

(12) ऐसी अप्रत्याशित स्थितियां उत्पन्न होने पर और उसके समाप्त होने पर, कंपनी यह कारण देती है कि वह उप-विनियम (11) में विनिर्दिष्ट अनुसार कार्य करने में असमर्थ थी, तो कंपनी द्वारा ऐसी अप्रत्याशित

स्थितियों के शुरू होने से लेकर बंद होने तक, ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों के कारण हुए विलंब का तत्काल, जो ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों के समाप्त होने से 15 दिनों के बाद न हो, के कारण हुए विलंब का बोर्ड को घटना का पूर्ण विवरण देते हुए और संवैधानिक अधिकारियों द्वारा विधिवत प्रमाणित करते हुए इसकी सूचना देनी होगी।

(13) ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों के द्वारा निलंबित सापेक्ष बाध्यता के निष्पादन के समय को उस अवधि तक के लिए बढ़ाएगा जाएगा, जिसके दौरान ऐसी अप्रत्याशित स्थितियों व्याप्त रही थी।";

(ठ) विनियम 15 का लोप किया जाएगा;

(ड) विनियम 16 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"16. चूक, पूर्व-निर्धारित दंड और प्राधिकरण प्रक्रिया समाप्त करने के परिणाम।

(1) प्राधिकृत कंपनी इन विनियमों में निर्दिष्ट सभी नियमों और शर्तों का पालन करेगी और ऐसा करने में असफल रहने पर इसे इस विनियम के प्रावधानों के अनुसार निपटाया जाएगा।

(2) संचयी कार्य कार्यक्रम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कोई कमी होने पर, कोई नोटिस दिए बिना नीचे दी गई दरों के हिसाब से उस संविदा वर्ष के लिए प्रत्येक संविदा वर्ष के समाप्त होने से तीन महीने के भीतर पूर्व विनिर्दिष्ट जुर्माना लगाया जाएगा और वसूला जाएगा, अर्थात्: -

(क) प्रत्येक पीएनजी कनेक्शन के लिए संचयी कार्य कार्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के लिए – रु.750 (सात सौ पचास रुपए मात्र);

(ख) प्रत्येक इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन के लिए संचयी कार्य कार्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के लिए - रु.150,000 (एक लाख पचास हज़ार रुपए मात्र); तथा

(ग) प्रत्येक प्राकृतिक गैस स्टेशन के लिए संचयी कार्य कार्यक्रम लक्ष्य को प्राप्त करने में कमी के लिए – रु.20,00,000 (बीस लाख रुपए मात्र)

तथा उदाहरण के प्रयोजनार्थ, यदि पीएनजी कनेक्शन के संबंध में संचयी लक्ष्य तीसरे संविदा वर्ष के अंत में 28,000 है और उस वर्ष के अंत में संचयी उपलब्धि 24,000 है, तो पूर्व-निर्धारित 30,00,000 रुपए का जुर्माना [अर्थात् (750 x (28,000-24,000)] तीसरे संविदा वर्ष की समाप्ति से 3 महीने के अंदर वसूला जाएगा। प्रत्येक संविदा वर्ष के संबंध में इंच-किलोमीटर स्टील पाइपलाइन और प्राकृतिक गैस स्टेशनों के लिए इसी तरह का जुर्माना लगाया जाएगा।

बशर्ते कि दंड प्रत्येक संविदा के वर्षों में चूक के रूप से लागू होगा, और पहली कटौती दूसरे संविदा वर्ष से शुरू हो जाएगी।

बशर्ते आगे बोर्ड द्वारा विधिवत स्वीकृत अप्रत्याशित स्थितियों को संज्ञान में लेते हुए पूर्व-निर्धारित दंड की गणना की जाएगी।

(3) विफलता के मामले में, उप-विनियम (2) में उल्लिखित के अलावा, निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, अर्थात्:

(क) बोर्ड चूक करने वाली कंपनी को उसकी बाध्यताएं पूरी करने के लिए उचित अवधि प्रदान करने हेतु एक नोटिस जारी करेगा;